भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड Railway Board)

बकाया भुगतान में दावे की जांच

पर

मास्टर परिपत्र

Revised Master Circular

ON

Arrear Claims and Investigation thereof

36

GOVERNMENT OF INDIA /BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS /RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

Master Circular No. 36

No.E(G)2001 AL1-19(Master Circular) New Delhi, dated 14/12/2001

The General Managers,
All Indian Railways, Production Units,
Metro Railway, Calcutta & Others.

Sub : Arrear claims and investigation thereof.

The instructions relating to the subject "Arrear claims of Railway servants and investigation thereof" contained in the letters and in the reference books (Indian Railway Administration and Finance Code Instructions/Indian Railway Establishment Manual) have been consolidated, as given below and issued as a Master Circular for the information and guidance of all concerned.

2. The scope of the instructions consolidated into this circular is confined to claims for payment of arrears on account of Pay and Allowances, leave salary, increments etc. and does not cover payment of gratuity, Govt. contribution to PF, SC to PF and Group Insurance.

3. Claims for arrear payment are preferred mostly due to:

(i) monetary entitlement of a Railway servant not being drawn correctly in time;
(ii) upward revision in entitlement retrospectively like revision of pay scale, increase in the amount of Dearness Allowance, benefit of fixation of pay with back effect;
(iii) period of absence of a Railway servant originally treated as leave without pay, later regularised by the grant of leave; and
(iv) treatment of the period of suspension as duty.

4. Claims arising due to the reasons quoted in para 3 (ii) above are mostly based on general orders of the competent authority and no specific orders would be necessary for the drawal of arrears. Similarly, claims relating to paras 3(iii) and 3(iv) would also carry the approval of the competent authority, who had decided on the regularisation after prior consultation with the Associate Finance where necessary.

4.1 In regard to claims falling in para 3(i) above, which are preferred after one year, approval of the competent authority is necessary for investigation and payment.

5. Petty arrear claims, other than those that affect a Railway servant's pension {SC to PF} Gratuity and all claims for whose delayed submission an adequate explanation is not forthcoming should, as a rule, be rejected. There is no yardstick as to what should be regarded as a petty claim, but as a general rule, if a claim is for less than Rupees Ten and relates to a period earlier than one year from the date it is submitted to the proper authority or comes to notice, it should be regarded as petty and should be rejected and no action should be taken regarding the payment of arrears.

(Ref.: Para 1021 of the Indian Railway Administration and Finance,
Para 1003 of the Indian Railway Estt. Manual)

5.1 To enable the competent authority to decide whether investigation and payment of the arrears claimed should be sanctioned, the total amount of the arrear claim, together with the salary of the Railway servant concerned, should be indicated in each individual case, to assess if the claim is to be treated as petty or otherwise. Every claim for payment of arrears should be supported by the reasons for the delay involved, to enable the sanctioning authority to decide if the reasons are satisfactory.

(Para 1002 - Indian Railway Estt. Manual)

5.2 All claims preferred, after the expiry of the period prescribed for the preservation of records, which are required for their verification should be rejected.

(Ref.: Para 1001 of the Indian Railway Estt. Manual and
Para 1021 of the Indian Railway Admn. & Finance)

5.3 In cases where, due to factors such as protracted correspondence between the Executive and the Accounts and the like, delay is apprehended in finalizing arrear claims within the period prescribed for preservation of the relevant records in the Accounts Office, a specific request should be made to the Accounts Office concerned for preservation of the records.

(Ref.: Board's letters No.E(S)58 CPC/PA/5 dated 19/7/69
and E(G)83/LG1/49 dated 3.8.84)

5.4 While rejecting petty claims of Railway servants, the provisions of Section 15(2) of the Payment of Wages Act, reproduced below, should be kept in view, in the case of Railway servants governed by the Payment of Wages Act, 1936.

"**15(2)** Where contrary to the provisions of this Act any deduction has been made from the wages of an employed person, or any payment of wages has been delayed, such person himself or any legal practitioner or any official of a registered trade union authorised to act on his behalf or any Inspector under this Act or any other person acting with the permission of the authority appointed under sub-section (1) may apply to such authority for a direction under sub-section (3).

Provided that every such application shall be presented within Twelve months from the date on which the deduction from wages was made or from the date on which the payment of wages was due to be made, as the case may be.

Provided further that any application may be admitted after the said period of twelve months when the applicant satisfies the authority that he had sufficient cause for not making the application within such period."

(Section 15(2) of the P.W. Act, 1936 - corrected upto 1985)

5.5 The authority concerned after hearing the applicant and the employer or other persons responsible for the payment of wages under Section (3) of the Act and after such further inquiry (if any) as may be necessary, may, without prejudice to any other penalty to which such employer or other person is liable under the Act, direct payment of the delayed wages together with the payment of such compensation as the authority may think fit.

(Ref.: Section 15(3) of the Payment of Wages Act, 1936.)

6. Substantial amount is paid as arrears on certain occasions as for instance when arrears are paid consequent on revision of pay scales with retrospective effect, revision in the rates of Dearness allowance etc. When such arrears are paid, an entry may be made in the service books of the non-gazetted Railway servants. But the absence of an entry in the Service book will not make any difference as far as the procedure of preparation and internal check in the Accounts Office is concerned i.e., the procedure for internal check of supplementary bills will not undergo any change and an entry in the original paid vouchers will have to be made in accordance with the orders in force before the claims are passed by the Accounts Office.

(Ref. : Board's letter No. E(G)77 AL1/6 dated 19/6/77)

7. Travelling allowance claims should be submitted within a period of three months from the month in which journey is performed. Claims submitted after this period should not be entertained, unless supported by adequate reasons for the delay, to the satisfaction of the Controlling Officer.

(Ref.: Para 1670 - Indian Railway General Code Vol.I)

8. The General Managers are authorized to sanction an investigation of arrear claims when the claim is not over three years old (irrespective of the amount involved) and when the claim is over three years old but the amount of the claim pertaining to the period beyond three years does not exceed Rs.5000/-. In cases where the amount of the claim for the period beyond three years exceeds Rs.5000/-, investigation of the portion within the three years limit is sanctioned by the General Manager, while the balance (i.e. the portion beyond three years) is referred to the Railway Board for orders.

8.1 The General Manager is also competent to delegate his powers in this behalf to lower levels of authority.

{Ref.: Paras 1004 & 1005 of IREM Vol.I (1989 edition)}
Board's letter No.F(X)72/LM1/2 dated 29/6/74,
E(G)77 AL1/6 dated 21/3/77 and E(G)99 AL1/20 dated 7/4/2000

9. In respect of payment of arrears due to the deceased Railway servant, the following procedure shall apply.

9.1 Pay and allowances of all kinds claimed on behalf of the deceased Railway servant may be paid without the production of the usual legal authority, under the orders of the Head of Office in which the Railway servant was employed at the time of his death, provided the Head of the Office is otherwise satisfied about the right of the claimant and the amount is less than Rs.10,000/-. Where the gross amount of the claim exceeds Rs.10,000/- payment will be made by the Head of the Office only on execution of an indemnity bond on form 1665-A, duly stamped for the gross amount due for payment, with such sureties as may be deemed necessary. The Head of the Office may also arrange anticipatory payment of an amount no exceeding Rs.10,000/-. Normally, two sureties both of known financial stability, should be secured, unless the gross amount is less than Rs.10,000/-. The authority accepting the indemnity bond in form G 1665-A for and on behalf of the President should decide on the merits of each case, whether to accept only one surety instead of two. The obligor as well as the sureties should have attained the age of legal majority so that the bond may have legal effect or force. The bond should also be accepted on behalf of the President by an officer duly authorized to do so under Article 299 (1) of the Constitution.

9.2 The arrears referred to in this para include not only the pay and allowances due to the deceased Railway servant but other legitimate dues such as reimbursement of medical charges, fees, honorarium, refund of water tax, rent etc.

9.3 In case of any doubt, payment should be made only to the person(s) producing the legal authority.

(Ref.: Para 1665-A -General Code Vol.I and amended vide correction slip No.164 of 11.8.69 and Board's letter No.E(G)83 AL1/13 dated 11.8.89)

10. Delays in timely payment of dues are opposed to all Rules and are highly objectionable and if not satisfactorily explained should be brought to the notice of the Head of the Department by the Accounts Officer.

(Ref.: Para 1022 - Indian Railway Administration and Finance)

11. Drawal of arrear claims otherwise than as permissible under the above provisions or provisións of Indian Railway Codes/Indian Railway Establishment Manual and specific instructions of Railway Board shall be referred to Railway Board for sanction.

12. Proposal for waival of internal check on arrear claims with reference to paid vouchers, as provided for in para 1413 A-1, should be sent to Board in the prescribed format as circulated vide Board's letter No.E(G)91 AL1/21 dated 31/10/91.

{Ref.: Board's letter No. E(G)91 AL1/21 dated 31/10/91}

13. A proper record of all Court cases should be maintained and necessary advice sent to the Accounts Department in time for preservation of the paid vouchers.

{Ref.: Board's letter Nos.E(G)93 AL1-14 dated 16/10/95,
E(G)98 AL1/9 Pt. dated 22/1/99}

14. Arrear claims of casual labourers should be sent personally by the General Manager to Member(Staff) through a DO letter clearly explaining the reasons for delay, if any, and fixing responsibility for such delay at the level of the officers concerned.

14.1 Such proposals should be accompanied by the following certificate from DRM/CPO/CAO.

> "Individual claims have been checked and vetted by the Accounts with reference to records available in the executive office. It is certified that the claims are authentic and genuine and no payments have been made previously for the same".

14.2 Each individual Casual Labour preferring the claim should do so in writing and sign a declaration in the prescribed format to the effect that he/she has not received the arrear claim money earlier.

{Ref. Board's letter No. E(G)95 AL1-15 dated 30/06/1995
E(G)90 AL1-16 dated 22/07/1998 and E(G)94 AL1-16
dated 21/07/1998}

15(i) While referring to this Master Circular, the original letters/references mentioned herein including the provisions in Chapter X of IREM should be read for a proper appreciation. This circular is only a consolidation of the existing instructions and should not be treated as a substitution of the original letters/references. In case of doubt, the original letters/references should be relied upon as authority;

(ii) The instructions contained in the original letters referred to, have only prospective effect unless indicated otherwise; and

(iii) If any letter having a bearing on the subject, which has not been superseded has been lost sight of in the preparation of the master circular, the said circular which has been missed through oversight, should not be ignored but should be treated as valid and operative.

16. The letters/references relied upon for the preparation of the master circular have been indicated in the enclosures.

(D.Joseph)
Desk Officer/Establishment(General)

DA: (i) List showing the letters No. & Date and other reference relied upon.

List showing the reference number and date of letters on the basis of which the Master Circular has been prepared.

Letter No.	Date
E(S)58 CPC/PA/5	dated 19/7/69
E(G)83/LG1/49	dated 3.8.84
E(G)77 AL1/6	dated 19/6/77
F(X)72/LM1/2	dated 29/6/74,
E(G)77 AL1/6	dated 21/3/77
E(G)99 AL1/20	dated 7/4/2000
E(G)83 AL1/13	dated 11.8.89
E(G)91 AL1/21	dated 31/10/91
E(G)93 AL1-14	dated 16/10/95
E(G)98 AL1/9 Pt.	dated 22/1/99
E(G)95 AL1-15	dated 30/06/1995
E(G)90 AL1-16	dated 22/07/1998
E(G)94 AL1-16	dated 21/07/1998

सं. ई (जी) 2001 ए एल 1-19 (मास्टर सर्कुलर) नई दिल्ली, दिनांक : 14-12-2001

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें, उत्पादन इकाइयां,
मेट्रो रेलवे, कलकत्ता एवं अन्य

विषय :- बकाया दावे तथा उनकी जाँच-पड़ताल

"रेल कर्मचारियों के बकाया दावे तथा उनकी जाँच-पड़ताल विषय से संबंधित अनुदेश, जो पत्रों तथा संदर्भ पुस्तकों (भारतीय रेल प्रशासन तथा वित्त संहिता-अनुदेश/भारतीय रेल स्थापना नियमावली) में निर्दिष्ट हैं, को निम्नानुसार समेकित किया गया है तथा सर्व संबंधितों की सूचना एवं मार्गदर्शन के लिए एक मास्टर परिपत्र के रूप में जारी किया जाता है."

2. इस परिपत्र में समेकित किए गए अनुदेशों का उद्देश्य वेतन तथा भत्ते, अवकाश वेतन, वेतनवृद्धियों इत्यादि के कारण बकाया राशि के भुगतान के दावों तक सीमित है तथा इसमें उपदान, भविष्य-निधि में सरकार का अंशदान, भविष्य निधि में विशेष अंशदान तथा सामूहिक बीमा का भुगतान सम्मिलित नहीं है.

3. बकाया राशि के भुगतान के दावे अधिकांशतः निम्न कारणों से प्रस्तुत किए जाते हैं :-

(i) रेल कर्मचारी की वित्तीय पात्रता जिसे समय पर सही प्रकार से नहीं बनाया गया है,
(ii) वेतनमान में संशोधन, मंहगाई भत्ते की राशि में वृद्धि, पश्च प्रभाव से वेतन का निर्धारण जैसे पूर्वव्यापी पात्रता में ऊर्ध्वगामी संशोधन,
(iii) एक रेल कर्मचारी की अनुपस्थिति की वह अवधि जिसे पहले बिना वेतन अवकाश के रूप में समझा गया था, और जिसे बाद में छुट्टी स्वीकृत करके नियमित किया गया,
(iv) निलम्बन की अवधि को ड्यूटी के रूप में समझना.

4. उपर्युक्त पैरा 3(ii) में उल्लिखित कारणों की वजह से उत्पन्न होने वाले दावे अधिकार सक्षम प्राधिकारी के सामान्य आदेशों पर आधारित होते हैं तथा बकाया राशि लेने के लिए विशेष आदेश आवश्यक नहीं होगा. इसी प्रकार पैरा 3(iii) तथा 3(iv) से संबंधित दावों को भी सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त होगा जिन्होंने सह-वित्त के साथ पूर्व परामर्श करने के पश्चात्, जहाँ आवश्यक था, नियमन के बारे में निर्णय किया था.

4.1 उपर्युक्त पैरा 3(i) में आने वाले दावों के संबंध में, जो एक वर्ष के पश्चात प्रस्तुत किए जाते हैं, उनकी जाँच-पड़ताल तथा भुगतान के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन आवश्यक है.

5. उन दावों को छोड़कर जिनसे रेल कर्मचारी की पेंशन भविष्य-निधि में विशेष अंशदान उपदान प्रभावित होता है, छोटे-मोटे दावों तथा उन सभी दावों को रद्द किया जाना चाहिए जहाँ विलम्ब से प्रस्तुति के लिए पर्याप्त स्पष्टीकरण न दिया गया हो. ऐसा कोई मान-दण्ड नहीं है कि किसे छोटा-मोटा दावा समझा जाए परन्तु सामान्य नियम के तौर पर, यदि दावा दस रुपये से कम का है तथा यह उपयुक्त प्राधिकारी को प्रस्तुत करने अथवा ध्यान में आने की तारीख से एक वर्ष पहले की अवधि से संबंधित है तो इसे छोटा-मोटा दावा समझा जाना चाहिए तथा रद्द कर दिया जाना चाहिए और बकाया राशि के भुगतान के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए.

(संदर्भ : भा.रेलवे प्रशासन तथा वित्त का पैरा 1021, भारतीय रेलवे स्था. नियमावली का पैरा 1003)

5.1 सक्षम प्राधिकारी यह निर्णय ले सके कि क्या दावा की गयी बकाया राशि की छान-बीन की जानी चाहिए तथा भुगतान स्वीकृत किया जाना चाहिए, प्रत्येक वैयक्तिक मामले में संबंधित रेल कर्मचारी के वेतन के साथ-साथ बकाया दावे की कुल राशि का उल्लेख किया जाना चाहिए ताकि इस बात का निर्धारण किया जा सके कि क्या दावे को छोटा-मोटा दावा या अन्यथा समझा जाए. बकाया राशि के भुगतान के लिए प्रत्येक दावे के साथ उसमें हुए विलम्ब के कारण दिए जाने चाहिए ताकि स्वीकृति प्राधिकारी यह निर्णय ले सके कि क्या ये कारण संतोषजनक हैं.

(भारतीय रेलवे स्था. नियमावली-पैरा 1002)

5.2 दावों के सत्यापन के लिए जो रिकॉर्ड अपेक्षित होते हैं उनके संरक्षण के लिए निर्धारित की गयी अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रस्तुत किए गए सभी दावे रद्द कर दिए जाने चाहिए.

(संदर्भ : भा.रे.स्था. नियम. का पैरा 1001 तथा भा.रे.प्रशा. एवं वित्त का पैरा 1021)

5.3 ऐसे मामलों में, जहाँ प्रशासन तथा लेखा विभाग के बीच लंबे समय तक पत्र-व्यवहार आदि जैसे कारकों के कारण, लेखा कार्यालय में संबद्ध रिकॉर्डों के संरक्षण के लिए निर्धारित अवधि के अंदर बकाया दावों को अंतिम रूप देने में विलम्ब की आशंका हो रिकॉर्डों के संरक्षण के लिए संबंधित लेखा कार्यालय को विशेष अनुरोध किया जाना चाहिए.

(संदर्भ : बोर्ड का 19.7.69 का पत्र सं. ई (एस) 58 सी पी सी/पी ए/5 तथा 3.8.84 का पत्र सं. ई (जी) 83/एल जी 1/49)

5.4 यदि रेल कर्मचारी मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 द्वारा शासित होते हैं तो उनके छोटे-मोटे दावों को रद्द करते समय, नीचे उद्धत मजदूरी भुगतान अधिनियम के खंड 15 (2) के प्रावधानों को ध्यान में रखना चाहिए.

15(2) जहां इस अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत एक नियोजित व्यक्ति की मजूरी में से कोई कटौती की गयी है या मजूरी के भुगतान में कोई विलम्ब हुआ है, वहां ऐसा व्यक्ति स्वयं अथवा कोई विधि व्यवसायी अथवा उसकी ओर से प्राधिकृत पंजीकृत ट्रेड यूनियन का कोई पदाधिकारी अथवा इस अधिनियम के तहत कोई निरीक्षक अथवा उप-खंड (i) के अंतर्गत नियुक्त प्राधिकारी की अनुमति से कार्य कर रहा कोई अन्य व्यक्ति उप-खंड (3) के अंतर्गत निदेश के लिए ऐसे प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है.

बशर्ते ऐसे प्रत्येक आवेदन मजदूरी से कटौती किए जाने की तारीख अथवा मजदूरी का भुगतान किए जाने की निर्धारित तारीख से, जैसा भी मामला हो, बारह महीने के अंदर प्रस्तुत कर दिए जाएं.

इसमें यह भी शर्त है कि बारह महीने की उक्त अवधि के पश्चात् कोई भी आवेदन-पत्र स्वीकार किया जा सकता है जब आवेदन कर्त्ता प्राधिकारी को संतुष्ट कर दे कि उस अवधि के अंदर आवेदन-पत्र न देने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण थे.

(मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 का खंड 15 (2)-1985 तक संशोधित)

5.5 संबंधित प्राधिकारी आवेदक और नियोक्ता या अधिनियम के खंड (3) के तहत मजूरी के भुगतान के लिए उत्तरदायी अन्य व्यक्तियों की सुनवाई करने के बाद और ऐसी किसी जांच (यदि कोई है), जो आवश्यक हो, के बाद ऐसे किसी अन्य दंड, जिसके लिए अधिनियम के तहत ऐसा नियोक्ता या अन्य व्यक्ति दायी है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विलम्बित मजूरी तथा साथ ही ऐसी प्रतिपूर्ति, जिसे प्राधिकारी उपयुक्त समझे, का भुगतान करने के लिए निदेश दे सकता है.

(संदर्भ : मजूरी भुगतान अधिनियम 1936 का खंड 15 (3))

6. कतिपय अवसरों पर बकाया राशि के रूप में पर्याप्त राशि का भुगतान किया जाता है उदाहरणार्थ जब पूर्वव्यापी प्रभाव से वेतनमानों के संशोधन, महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन आदि के कारण बकाया राशि का भुगतान किया जाता है. जब ऐसी बकाया राशि का भुगतान किया जाता है, तब अराजपत्रित रेल कर्मचारियों की सेवा-पुस्तिकाओं में एक प्रविष्टि की जानी चाहिए. लेकिन जहाँ तक लेखा कार्यालय में बकाया राशि तैयार करने और उसकी आन्तरिक जाँच करने की प्रक्रिया का संबंध है, सेवा-पुस्तिकाओं में प्रविष्टि न किये जाने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा अर्थात् पूरक बिलों की आंतरिक जाँच की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा और लेखा कार्यालय द्वारा दावे पास करने से पहले प्रचलित आदेशों के अनुसार मूल प्रदत्त वाउचरों में प्रविष्टि करनी होगी.

(संदर्भ : बोर्ड का 19.6.77 का पत्र सं. ई (जी) 77 एएल 1/6)

7. यात्रा भत्ते के दावे, जिस महीने में यात्रा की जाती है, उससे 3 महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए. इस अवधि के बाद प्रस्तुत किये गये दावों पर तब तक विचार नहीं किया जाना चाहिए जब तक नियंत्रण अधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप विलंब के लिए पर्याप्त कारण न दिये गये हों.

(संदर्भ : भा.रे.सा. कोड वाल्यूम 1 का पैरा 1670)

8. महाप्रबंधकों को, बकाया राशि के ऐसे दावों की जांच-पड़ताल के लिए स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है जो तीन वर्ष की अवधि से अधिक पुराने नहीं हैं (भले ही इसकी राशि कोई भी हो) और ऐसे दावों के लिए भी प्राधिकृत किया गया है जो तीन वर्ष से अधिक पुराने हैं परंतु तीन वर्ष की अवधि से आगे के इन दावों की राशि 5000/-रु. से अधिक नहीं है. तीन वर्ष की अवधि से भी पुराने जिन दावों की राशि 5000/- रु. से अधिक है, उनके मामलों में तीन वर्ष तक की सीमा वाले भाग की जांच-पड़ताल महाप्रबंधक द्वारा स्वीकृत की गई है जबकि शेष अवधि (अर्थात् तीन वर्ष से आगे की अवधि) के संबंध में आदेशों हेतु इसे रेलवे बोर्ड को भेजा जाए.

8.1 महाप्रबंधक को रेल कर्मचारियों के बकाया राशि के दावों की छानबीन करने के लिए पूरी शक्तियां हैं वे इस संबंध में निम्न स्तर के प्राधिकारियों को शक्तियां प्रायोजित करने के लिए भी सक्षम है.
(संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 29.6.74 का पत्र सं.एफ(एक्स)72 एलएम 1/2, दिनांक 21.3.77 का पत्र सं. ई(जी)77 एएल 1/6 तथा दिनांक 7.4.2000 का पत्र सं.ई(जी)99एएल 1/20)

9. मृत्तक रेल कर्मचारी को देय बकाया राशि के भुगतान के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी :

9.1 मृत्तक रेल कर्मचारी की ओर से दावा किये गये सभी किस्म के वेतन और भत्तों का सामान्य कानूनी प्राधिकार प्रस्तुत किये बिना भुगतान किया जा सकता है. यह भुगतान उस प्रधान कार्यालय के आदेशों के अंतर्गत किया जाएगा जिसमें रेल कर्मचारी उसकी मृत्यु के समय नियोजित था बशर्ते कि प्रधान कार्यालय दावेदार के अधिकार के बारे में संतुष्ट हों और यह राशि 10,000 रुपये से कम हो. जहाँ दावे की कुल राशि 10,000/-रु. से अधिक हो, वहाँ मुख्यालय द्वारा तभी भुगतान किया जाएगा जब इसके लिए फार्म 1665-ए में एक क्षतिपूर्ति बंध-पत्र (इस परिपत्र के साथ संलग्न) निष्पादित किया जाएगा और उस पर भुगतान के लिए देय कुल राशि के लिए विधिवत् टिकट लगा हो और ऐसी जमानतें होनी चाहिए जो आवश्यक समझी जाएं. मुख्य

10,000/-रुपये की राशि तक पूर्व भुगतान की व्यवस्था कर सकता है. सामान्यत: इसके लिए ज्ञात वित्तीय साख की दो जमानतें प्राप्त की जानी चाहिए यदि कुल राशि 10,000/- रुपये से कम न हो. भारत के राष्ट्रपति की ओर से फार्म जी 1665-ए में क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र स्वीकार करने वाले अधिकारी को प्रत्येक मामले के बारे में गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेना चाहिए कि क्या दो जमानतों के बदले केवल एक ही जमानत स्वीकार की जाए. बाध्यताधारी तथा साथ ही जमानियों को कानूनी रूप से व्यस्क होना चाहिए ताकि बन्ध पत्र का कानूनी प्रभाव हो सके. राष्ट्रपति की ओर से ऐसे प्राधिकारी द्वारा भी बन्ध-पत्र स्वीकार किया जाना चाहिए जिसे संविधान की धारा 299 (1) के तहत ऐसा करने के लिए विधिवत् प्राधिकृत किया गया हो,

9.2 इस पैरा में उल्लिखित बकाया राशि में न केवल मृतक रेल कर्मचारी का वेतन और भत्ता शामिल है बल्कि चिकित्सा प्रभारों की प्रतिपूर्ति फीस, मानदेय, जल शुल्क, किराया आदि जैसी अन्य वैध देय राशि भी शामिल है.

9.3 किसी संदेह की स्थिति में, केवल उसी व्यक्ति (व्यक्तियों) को भुगतान किया जाए जो वैध प्राधिकार प्रस्तुत करे.

(संदर्भ : सामान्य संहिता वाल्यूम 1 का पैरा 1665-ए और 11.8.69 की शुद्धि पर्ची सं. 164 द्वारा यथा संशोधित और बोर्ड का 11.8.89 का पत्र सं. ई (जी) 83 ए एल 1/13).

10. बकाया राशि का समय पर भुगतान करने में जो विलम्ब होता है वह सभी नियमों के विरूद्ध है और बहुत ही आपत्ति-जनक है और यदि इसे संतोषजनक ढंग से स्पष्ट नहीं किया जाता है तो लेखा अधिकारी द्वारा यह बात विभाग के प्रधान के ध्यान में लायी जानी चाहिए.

(संदर्भ : भा.रे.प्र. और वि. का पैरा 1022)

11. भारतीय रेल संहिता/भारतीय रेल स्थापना नियमावली के उपर्युक्त प्रावधान अथवा प्रावधानों और रेलवे बोर्ड के विशिष्ट अनुदेशों के अंतर्गत अनुमेय दावों से इतर दावों की बकाया राशि के आहरण के लिए इसे स्वीकृति हेतु रेलवे बोर्ड को भेजा जाना चाहिए.

12. प्रदत्त वाउचरों से संबंधित बकाया राशि के दावों पर आंतरिक जांच, जैसा कि पैरा 1413 ए-1 में व्यवस्था की गई है, को हटाने से संबंधित प्रस्ताव निर्धारित फार्मेट में बोर्ड को भेजा जाना चाहिए जैसा कि बोर्ड के दिनांक 31.10.91 के पत्र सं. ई (जी) 91 ए एल 1/21 के तहत परिपत्रित किया गया है.

(बोर्ड का दिनांक 31.10.91 का पत्र सं. ई (जी) 91 ए एल 1/21)

13. सभी अदालती मामलों का उपयुक्त रिकॉर्ड रखा जाए और प्रदत्त वाउचरों के समय पर संरक्षण के लिए लेखा विभाग को आवश्यक सूचना भेजी जाए.

(बोर्ड का दिनांक 16.10.95 का पत्र सं. ई (जी) 93 ए एल 1-14 तथा दिनांक 22.1.99 का पत्र सं. ई (जी) 98 ए एल 1/9 पार्ट)

14. नैमित्तिक श्रमिकों के बकाया दावों को महाप्रबंधक द्वारा व्यक्तिगत रूप से सदस्य (कार्मिक) को एक अ.शा. पत्र के जरिए भेजा जाए जिसमें विलंब के कारणों, यदि कोई हैं, का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए और इस विलंब के लिए संबंधित स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की जाए.

14.1 ऐसे प्रस्तावों के साथ मंडल रेल प्रबंधक/मुख्य कार्मिक अधिकारी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी से निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए.

"अलग-अलग मामलों की, कार्यपालक कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्डों के साथ लेखा विभाग द्वारा जांच और विधीक्षा की गई है. यह प्रमाणित किया जाता है कि दावे प्रमाणिक और वास्तविक हैं और इनके संबंध में विगत में भुगतान नहीं किया गया है."

14.2 प्रत्येक नैमित्तिक श्रमिक दावे को लिखित में प्रस्तुत करे और इसके साथ निर्धारित फार्मेट में इस आशय की घोषणा के हस्ताक्षर करे कि उसने इस दावे से संबंधित राशि पूर्व में प्राप्त नहीं की है.

(संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 30.6.1995 का पत्र सं. ई (जी) 95 ए एल 1-15, दिनांक 22.7.1998 का पत्र सं. ई (जी) 90 ए एल 1-16 और दिनांक 21.7.1998 का पत्र सं. ई (जी) 94 ए एल 1-16)

15. (i) इस परिपत्र को पढ़ते समय सही मूल्यांकन के लिए भा.रे.स्था.नि. के अध्याय X के उपबंधों सहित इसमें उल्लिखित मूल पत्रों/संदर्भों को पढ़ा जाए. यह परिपत्र मौजूदा अनुदेशों का संकलन मात्र है. ऐसा न समझा जाए कि यह मूल पत्रों के बदले में है. संदेह की स्थिति में मूल परिपत्र को प्रामाणिक मानकर इस पर भरोसा किया जाए.

(ii) जब तक संबंधित परिपत्र में अन्यथा उल्लेख न किया गया हो तो मूल पत्रों में अंतर्विष्ट अनुदेश उनके जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे.

(iii) यह समेकित पत्र तैयार करते समय, यदि इस विषय पर किसी परिपत्र को, जिसका अधिक्रमण नहीं किया गया है, ध्यान में नहीं लिया गया हो तो गलती से छूट गए उस परिपत्र की अनदेखी न की जाए और उसे वैद्य तथा प्रभावी माना जाए.

16. इस मास्टर परिपत्र को तैयार करने के लिए जिन पत्रों/संदर्भों को ध्यान में रखा गया है उनका उल्लेख अनुबंध में किया गया है.

डी. जोसफ

(डी.जोसफ)
डेस्क अधिकारी, स्थापना (सामान्य)
रेलवे बोर्ड

संलग्न :

( ) पत्र नं. तथा तारीख दर्शाने वाली सूची.